

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3758
19 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र का निष्पादन

3758. डॉ. उदित राज:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र में इस्पात उद्योग में निर्धारित एवं हासिल किए गए लक्ष्यों के संदर्भ में इस क्षेत्र के निष्पादन की हाल में समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका निष्कर्ष क्या है;
- (ख) इस्पात क्षेत्र के गिरते निष्पादन को बढ़ाने हेतु हाल में लिए गए/विचाराधीन प्रमुख नीतिगत निर्णय का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) देश के इस्पात उद्योग में विदेशों से बढ़ते आयात को कम करने हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री विष्णु देव साय)

(क): सरकार निजी तथा सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में इस्पात उद्योग के निष्पादन की लगातार समीक्षा करती रहती है। चूंकि, इस्पात उद्योग नियंत्रण मुक्त है, अतः सरकार उत्पादन, निर्यात आदि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। सरकार की भूमिका देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए एक सुविधाप्रदाता तक ही सीमित है।

(ख): सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 अधिसूचित की है जिसका उद्देश्य भारतीय इस्पात क्षेत्र को प्रौद्योगिक रूप से उन्नत करना, वैश्विक स्तर पर प्रतियोगी बनना तथा उच्च स्तरीय ऑटोमोटिव इस्पात, विद्युत इस्पात, विशेष इस्पात और अनुप्रयोगों की आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार ने सरकारी परियोजनाओं के लिए सरकारी खरीद में देशीय निर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता देने की नीति को अधिसूचित किया है।

(ग): देश में विदेशों से आयात की डंपिंग में रोक लगाने के लिए, सरकार ने बहुत से इस्पात उत्पादों के आयात पर कस्टम शुल्क बढ़ाने, सेफगार्ड शुल्क लगाने और एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने जैसे कदम उठाए हैं।
